प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 11.11.2026

- **अपराध नियंत्रण एवं अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम मे थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ व श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज कानपुर श्री जमुना प्रसाद के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्रृद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. अंश उर्फ बड़े द्विवेदी पुत्र श्याम सुन्दर उर्फ छुनान दुबे व 2. जितेन्द्र उर्फ हग्गा पुत्र गिरीश निवासीगण ग्राम भीतरगांव, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात सम्बन्धित मु0अ0सं0 0438/2025 धारा 103(1) बीएनएस को आज दिनांक 11.11.2026 को समय 17.40 बजे भीतरगांव से करोम को जाने वाली सड़क थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण उपरोक्त का मेडिकोलीगल परीक्षण कराते हुये कल दिनांक 12.11.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आगन्तुक श्री योगेन्द्र शुक्ला पुत्र श्री हनुमान शुक्ला निवासी ग्राम भीतरगांव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 05.11.2026 को लिखित सूचना दी कि मयंक तिवारी उर्फ बंशी पुत्र रामबाबू तिवारी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम भीतरगांव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात दिनांक 04.11.2026 को समय 17.00 बजे गांव के बाहर गया था जो वापस नहीं आया काफी तलाश की तथा दिनांक 05.11.2026 को गुमशुदगी दर्ज की गयी। तथा दिनांक 05.11.2026 को ही समय 16.00 बजे गांव से करौम जाने वाली रोड के पास नाले में मृत अवस्था में मयंक तिवारी उर्फ वंशी उपरोक्त का शव मिला मौके पर एफएसएल टीम/डाक स्क्वाड टीम को बुलाकर जांच व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कर पंचायतनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में CAUSE OF DEATH में ASPHYXIA DUE TO ANTEMORTEM STRANGULATION पाया गया है। दौराने जांच मृतक के पिता श्री रामबाबू तिवारी पुत्र मुरारी तिवारी निवासी ग्राम भीतरगांव, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 11.11.2026 को दी गयी तहरीर बाबत वादी के पुत्र मयंक तिवारी उर्फ वंशी की हत्या गांव के ही अंश उर्फ बडे द्विवेदी पुत्र श्याम सुन्दर उर्फ छुनान दुबे व जितेन्द्र उर्फ हग्गा पुत्र गिरीश वाल्मीकि द्वारा गला दबाकर हत्या करने के सम्बन्ध में दी जिसके आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0438/2026 धारा 103 (1) बीएनएस, बनाम 1. अंश उर्फ बड़े द्विवेदी पुत्र श्याम सुन्दर उर्फ छुनान दुबे व 2. जितेन्द्र उर्फ हग्गा पुत्र गिरीश निवासीगण ग्राम भीतरगांव, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

घटना का कारण

मृतक द्वारा अभियुक्तगण की पूर्व में चोरी की वीडियों बनाकर सोशल मीडिया में यह कहते हुये डाली थी कि यह लोग चोर और लौडियाबाज है इनसे सावधान रहे डाल दिया था जिसको लेकर विवाद था तथा मृतक मिलने पर अभियुक्तगण से कमेन्टबाजी करता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.अंश उर्फ बड़े द्विवेदी पुत्र श्याम सुन्दर उर्फ छुनान दुबे ग्राम भीतरगांव, थाना रसूलाबाद का0दे0 उम्र लगभग 18 वर्ष

2. जितेन्द्र उर्फ हग्गा पुत्र गिरीश निवासी ग्राम भीतरगांव, थाना रसूलाबाद कानपुर देहात उम्र लगभग 20 वर्ष

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0438/2026 धारा 103(1) बीएनएस, थाना रसूलाबाद,जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 श्री शिवनरायन सिंह, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात

2. उ0नि0 श्री केशव देव चौकी प्रभारी तिश्ती थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात

3.हे0का0 612 शैलेन्द्र सिंह थाना रसूलाबाद कानपुर देहात

4.का0 823 दुष्यन्त थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात

5.का0 769 सोनू यादव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।